पटना उच्च न्यायालय के अधिकारिता में

2019 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4141

में

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1196

==========

1. मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय मोदी भवन, घाघ गली चौक, पटना शहर में है, इसके निदेशक कृष्ण कुमार वर्मा के माध्यम से, जिनकी आयु लगभग 68 वर्ष (पुरुष) है, मोती लाल वर्मा के पुत्र, जो साड़ी वसियावब गली, पानी टंकी रानी मिल्की चक, पटना सिटी थाना खजेकलां, जिला-पटना-800008 के निवासी हैं।
2. कृष्ण कुमार वर्मा मोती लाल वर्मा निवासी साड़ी वासियावब फली, पानी टांकी, रानी मिल्की चक, पटना सिटी थाना खजेकलां, जिला पटना-800008 के पुत्र हैं।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड विद्युत भवन, बेली रोड, पटना अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
2. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रभाग, पटना सिटी, पटना।
3. सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति उप-मंडल, कटरा, पटना सिटी, पटना।
4. कनिष्ठ विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अनुभाग, मालसलामी, पटना सिटी, पटना।
5. मेसर्स साकेत पी.वी.सी.पाइप्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सूर्य विहार, एक्जीवीशन रोड, थाना गाँधी मैदान,पटना,में हैं, उसके निर्देशक विकास कुमार जालान, पुत्र स्वर्गीय नारायण प्रसाद जालान, निवासी 811,शांति विहार अपार्टमेन्ट,कार्यालय फ्रेजर रोड, डाकघर, जी.पी.ओ., थाना कोतवाली, पटना-800001 के माध्यम से।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

श्री कृष्ण गोशाला प्रबंधक समिति ने जालान पॉलीट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के एकमात्र निदेशक स्वर्गीय नारायण प्रसाद जालान को 30 साल की अवधि के लिए 01.04.1998 से 31.03.2028 तक परिसर को पट्टे पर दिया। हालांकि समझौते पर जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन बिजली कनेक्शन मेसर्स पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज के नाम पर लिया गया था। इस कंपनी का नेतृत्व स्वयं स्वर्गीय नारायण प्रसाद कर रहे थे। हालांकि समझौते पर 1999 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन बिजली के लिए आवेदन 20 साल बाद 2018 में प्रस्तुत किया गया था। मेसर्स साकेत पीवीसी पाइप्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उन्होंने व्यवसाय किया और जब बकाया 20 लाख से अधिक हो गया तो वे नए बिजली कनेक्शन के लिए आए। एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद, एक अन्य व्यक्ति कृष्ण कुमार वर्मा ने खुद को निदेशक बताते हुए वर्तमान अपील दायर की है। उसी पट्टे पर दिए गए परिसर में नामकरण को बदलकर और इस प्रक्रिया में उत्तरदाताओं को 20 लाख के नुकसान में डालने के धोखे के इस खेल को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 4141/2019, एल. पी. ए. सं.-1196/2019 में एकल न्यायाधीश के आदेश के साथ कोई रखरखाव खारिज नहीं किया गया। कंपनी अधिनियम, 1956, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18.05.2015।

पटना उच्च न्यायालय के अधिकारिता में

2019 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4141

में

2019 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1196

==========

1. मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय मोदी भवन, घाघ गली चौक, पटना शहर में है, इसके निदेशक कृष्ण कुमार वर्मा के माध्यम से, जिनकी आयु लगभग 68 वर्ष (पुरुष) है, मोती लाल वर्मा के पुत्र, जो साड़ी वसियावब गली, पानी टंकी रानी मिल्की चक, पटना सिटी थाना खजेकलां, जिला-पटना-800008 के निवासी हैं।
2. कृष्ण कुमार वर्मा मोती लाल वर्मा निवासी साड़ी वासियावब फली, पानी टांकी, रानी मिल्की चक, पटना सिटी थाना खजेकलां, जिला पटना-800008 के पुत्र हैं।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड विद्युत भवन, बेली रोड, पटना अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से।
2. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रभाग, पटना सिटी, पटना।
3. सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति उप-मंडल, कटरा, पटना सिटी, पटना।
4. कनिष्ठ विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अनुभाग, मालसलामी, पटना सिटी, पटना।
5. मेसर्स साकेत पी.वी.सी.पाइप्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सूर्य विहार, एक्जीवीशन रोड, थाना गाँधी मैदान,पटना,में हैं, उसके निर्देशक विकास कुमार जालान, पुत्र स्वर्गीय नारायण प्रसाद जालान, निवासी 811,शांति विहार अपार्टमेन्ट,कार्यालय फ्रेजर रोड, डाकघर, जी.पी.ओ., थाना कोतवाली, पटना-800001 के माध्यम से।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

==========

उपस्थिति:
अपीलार्थी के लिए : श्री सूरज समदर्शी अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : श्री प्रकाश कुमार, अधिवक्ता
==========

कोरम : माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय श्री न्यायाधीश राजीव रॉय

(मौखिक निर्णय: माननीय श्री जस्टिस राजीव रॉय के अनुसार)

तिथि 22.01.2024

वर्तमान अपील 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 4141 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 16.08.2019 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत को यह मानते हुए खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता संख्या 1, कंपनी ने पट्टेदार के रूप में उसे दिए गए अधिकारों से परे जाकर, नारायण प्रसाद जालान के परिवार को पट्टे के परिसर में प्रवेश करने, पारिवारिक व्यवसाय चलाने के लिए बिजली प्राप्त करने की अनुमति दी और फिर बिजली के बिल जमा करने के बाद, जब बिजली काट दी गई है, तो बिजली कनेक्शन के लिए नया आवेदन किया गया है, जिसमें इसे एक अलग इकाई दिखाया गया है, जिसे अदालत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

2. वर्तमान अपील से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं|

3. अपीलार्थी संख्या 1 कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और पहले एक याचिकाकर्ता सचिन मोदी के माध्यम से मामले को चुनौती दे रही थी, जो रिट याचिका में याचिकाकर्ता संख्या-2 है|अब उनकी जगह कृष्णा कुमार वर्मा को वर्तमान अपील में अपीलकर्ता संख्या-2 के रूप में नियुक्त किया गया हैं|

4. 26.03.2018 को सचिन मोदी ने प्रतिवादी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (अब से संक्षिप्त में, 'एस. बी. पी. डी. सी. एल.') के पास गैर-घरेलू श्रेणी के बिजली कनेक्शन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

5. उत्तरदाताओं ने बदले में 09.04.2018 को सूचित किया कि 20,40,464/- रुपये के बकाया को देखते हुए। नारायण प्रसाद जालान के नाम पर उक्त परिसर को नया बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है।

6. अपीलकर्ता-याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उक्त नारायण प्रसाद जालान मैसर्स साकेत पीवीसी पाइप्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (अब से संक्षेप में, 'साकेत इंडस्ट्रीज') के मालिक भी थे और अब जीवित नहीं हैं। नारायण प्रसाद जालान के खिलाफ सर्टिफिकेट मामला 20,14,213/- रुपये की वसूली के लिए सर्टिफिकेट कार्यवाही सर्टिफिकेट मामला 05/2015-16 द्वारा चल रही थी, लेकिन चूंकि यह उनकी मृत्यु के बाद दायर किया गया था, इसलिए पटना उच्च न्यायालय ने 2015 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 17455 में दिनांक 01.10.2018 के आदेश के द्वारा सर्टिफिकेट मामला को रद्द कर दिया गया था।

7. इसके अलावा, जिस भूमि पर 'साकेत इंडस्ट्रीज' को बिजली कनेक्शन दिया गया था, उसे श्री कृष्ण गोशाला प्रबंधक समिति ने मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड (अब से संक्षिप्त में, 'जालान पॉली ट्यूब') के निदेशक नारायण प्रसाद जालान को 30 वर्ष के लिए 01.04.1998 से 21.03.2028 तक दिनांक 30.01.1999 को पट्टे पर दिया था।

8. सचिन मोदी जो याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया गया था कि बाद में, निदेशकों के नए समूह के साथ हाथ बदले गए थे और इस तरह वे कानूनी रूप से बिजली कनेक्शन के हकदार थे और केवल इसलिए कि स्वर्गीय नारायण प्रसाद जालान 'साकेत इंडस्ट्रीज' के निदेशक होने के अलावा जालान पॉली ट्यूब के निदेशक भी थे, बिजली कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता है।

9. मामले के समर्थन में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, श्री सूरज समदर्शी ने बिहार विद्युत नियामक आयोग, पटना की राजपत्र अधिसूचना का उल्लेख किया जिसमें **खंड 2 उप-खंड (i)** निम्नानुसार हैः

संहिता के अध्याय 4 में संशोधन

खंड 4.1 का तीसरा प्रावधान निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"(i) यदि उपभोक्ता के रूप में किसी परिसर के मालिक या अधिभोगकर्ता या किरायेदार के खिलाफ बिजली बकाया का बकाया है, तो बाद के मालिक, अधिभोगकर्ता या किरायेदार को नए कनेक्शन से इनकार नहीं किया जाएगा, और परिसर में बिजली बकाया का बकाया बिहार और उड़ीसा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के तहत चूक करने वाले उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा या वैकल्पिक रूप से बकाया को प्रतिभूति की राशि के समायोजन के बाद चूक करने वाले उपभोक्ता को पंद्रह दिनों का सूचना देते हुए उस पर जमा सुरक्षा राशि और ब्याज किसी अन्य चालू खाते में भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

10. इस न्यायालय ने खंड 2 के उपखंड (**iii**) पर भी ध्यान दिया है जो इस प्रकार हैः

*(**iii**) यदि किसी परिसर में बिजली बकाया है, तो उसी परिसर में एक नए आवेदक को एक नए कनेक्शन से इनकार किया जा सकता है, यदि आवेदक एक व्यक्ति होने के नाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 और 6 में परिभाषित एक सहयोगी या रिश्तेदार है, या जहां आवेदक एक कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट या संघ, या व्यक्तियों का निकाय है, चाहे वह कॉर्पोरेट में हो या न हो, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, नियंत्रित है, या चूक करने वाले ग्राहक में नियंत्रित हित रखता है। बशर्ते कि लाइसेंसधारी इस आधार पर बिजली कनेक्शन से इनकार नहीं करेगा, जब तक कि आवेदक को अपना मामला पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए लाइसेंसधारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा तर्कपूर्ण आदेश पारित नहीं किया जाता है और इनकार का आदेश आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के भीतर सूचित किया जाएगा। .*

11. अपीलकर्ता-याचिकाकर्ताओं का आगे का मामला यह है कि मैसर्स जालान पॉलीट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड को नया बिजली कनेक्शन प्रदान नहीं करने में प्रतिवादियों को अन्यायपूर्ण ठहराया गया था और इस तरह उन्हें राहत दी जानी चाहिए और जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट को खारिज करने में गलती की थी, उसे दर किनार कर दिया जाय|

12. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दिनांकित पट्टा विलेख 30.01.1999 बहुत स्पष्ट है। इसे श्री कृष्ण गोशाला प्रबंधक समिति और मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड के बीच अपने एकमात्र निदेशक नारायण प्रसाद जालान के माध्यम से तीस साल की अवधि के लिए निष्पादित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि नारायण प्रसाद जालान 'साकेत इंडस्ट्रीज' के मालिक भी थे और उन्होंने एक बिजली कनेक्शन लिया था, जिस पर लगभग बीस लाख का बिजली बकाया नहीं चुकाया गया था। नए कनेक्शन के लिए आवेदन केवल 'एस. बी. पी. डी. सी. एल.' को नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया था जैसा कि ऊपर कहा गया है।

13. उनका निवेदन है कि जब नारायण प्रसाद जालान ने श्री कृष्ण गोशाला प्रबंधक समिति के साथ उक्त पट्टा समझौते के आधार पर परिसर में प्रवेश किया और खुद को मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक होने का दावा किया, तो उन पर बिजली बकाया का भुगतान बाद के निदेशकों द्वारा किया जाना था।

14. अधिवक्ता इस न्यायालय को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, एस. बी. पी. डी. सी. एल., विद्युत भवन, पटना द्वारा सचिन मोदी द्वारा दायर एक याचिका में पारित दिनांक 30.07.2018 के आदेश पर ले गए, जो रिट में याचिकाकर्ता थे।

निवारण मंच ने अपने आदेश में इस प्रकार दर्ज कियाः

> “हमारा विचार है कि सब कुछ केवल बिजली के वैध शुल्कों से बचने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जैसे कि मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने निदेशक श्री श्री द्वारा अपने मालिक श्री के माध्यम से

मैसर्स साकेत ट्यूब लिमिटेड के नाम से कनेक्शन लेते हुए मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने मालिक श्री के माध्यम से मैसर्स साकेत ट्यूब लिमिटेड के नाम से कनेक्शन लेते हुए मैसर्स साकेत ट्यूब लिमिटेड के नाम से बिजली का भारी बकाया छोड़ दिया गया है और अब मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नए कनेक्शन के लिए आवेदन उसी परिसर में और उसी समझौते पर निदेशकों के एक नए समूह के साथ किया गया है और तीनों पक्षों की एक-दूसरे के साथ मिलीभगत है। हम पूरे प्रकरण में विरोधी पक्षों की मिलीभगत भी महसूस करते हैं अन्यथा मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड के समझौते पर मैसर्स साकेत ट्यूब लिमिटेड को कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता था और बिजली बकाया 25 लाख रुपये तक नहीं जमा हो सकता था। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मामले की जांच करा सकते हैं और चूक करने वाले कर्मचारियों को दंडित कर सकते हैं। ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं और मानते हैं कि यह परिसर 1998 से मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड के नियंत्रण में है और मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड की सहमति पर मैसर्स साकेत ट्यूब लिमिटेड को बिजली कनेक्शन दिया गया था और परिसर में बकाया राशि मैसर्स जालान पॉलीट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड भुगतान में कोताही बरतता है। हमारा विचार है कि निदेशकों के नए समूह के साथ याचिकाकर्ता कंपनी को परिसर के उत्तराधिकारी अधिभोगकर्ता/किरायेदार के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि समझौता अभी भी मेसर्स जालान पॉलीट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर इसके निदेशक श्री नारायण प्रसाद जालान और इसके उत्तराधिकारियों के माध्यम से 1.4.1998 के माध्यम से जीवित है और नए बिजली कनेक्शन के लिए पात्र नहीं हैं जब तक कि परिसर में बकाया पूरी तरह से वसूल नहीं किया जाता है। हमने यह भी माना कि श्री सचिन मोदी द्वारा 20.6.2018 को प्रस्तुत किया गया वचन

अस्पष्ट है और स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रमाण पत्र राशि का भुगतान करने का बीड़ा उठाया है यदि यह सचिन मोदी से मैसर्स जालान पॉलीट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में वसूली योग्य पाया जाता है। इस प्रकार, हम याचिकाकर्ता कंपनी को बिजली कनेक्शन जारी नहीं करने के लिए विरोधी पक्षों की कार्रवाई को मंजूरी देते हैं।

ऊपर की गई टिप्पणियों के तहत इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। .

15. यह उनका निवेदन है कि अपीलकर्ताओं ने गलत उद्देश्य से पहले उसी परिसर के लिए 'साकेत इंडस्ट्रीज' के नाम पर संबंध लेने का विकल्प चुना और अब एक और संबंध चाहते हैं जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है और अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

16. अभिलेख पर तथ्यों और पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों से यह स्पष्ट है किः

(i) श्री कृष्ण गोशाला प्रबंधक समिति मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड के एकमात्र निदेशक स्वर्गीय नारायण प्रसाद जालान को परिसर पट्टे पर दिया गया।

(ii) इस पर वर्ष 1999 में तीस साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे अर्थात 01.04.1998 से 31.03.2028 तक;

(iii) दिलचस्प बात यह है कि हालांकि मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन उसी परिसर में मैसर्स साकेत पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बिजली कनेक्शन लिया गया था।

(iv) कैसे और किस परिस्थिति में, मेसर्स साकेत पीवीसी पाइप्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका निदेशक स्वर्गीय नारायण प्रसाद जालान भी थे, परिसर में आए और बिजली कनेक्शन प्राप्त किया, हमारे बार-बार पूछे जाने के बावजूद अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

17. यह आश्चर्य की बात है कि हालांकि वर्ष 1999 में श्री कृष्ण गोशाला प्रबंधक समिति और स्वर्गीय नारायण प्रसाद जालान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन मैसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग बीस साल बीतने के बाद वर्ष 2018 में ही बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। यह न्यायालय इसे तब तक समझने में असमर्थ है जब तक कि हम मैसर्स साकेत पीवीसी पाइप्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, के नाम के बीच की कड़ी को नहीं जोड़ते, उन्होंने बिजली का कनेक्शन लिया और अपना व्यवसाय जारी रखा। एक बार जब बकाया लगभग बीस लाख रुपये तक चला गया और बिजली काट दी गई, तो नारायण प्रसाद जालान की मृत्यु के बाद, वे मैसर्स जालान पॉली ट्यूब के लिए इस नए बिजली कनेक्शन सिद्धांत के साथ आए।

18. हम इस तथ्य को और नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पहले रिट याचिका में, सचिन मोदी मैसर्स जालान पॉलीट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज कर दी, तो अब एक अन्य व्यक्ति, कृष्ण कुमार वर्मा ने खुद को निदेशक होने का दावा करते हुए वर्तमान अपील दायर की है।

19. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता यह स्पष्ट करने और/या कोई दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहे कि मेसर्स साकेत पीवीसी पाइप्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड परिसर में कैसे आया जब इसे श्री कृष्ण गोशाला प्रबंधक समिति द्वारा मेसर्स जालान पॉली ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया था। हमने पहले ही राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18.05.2015 के खंड 2 के उप-खंड (**iii**) को शामिल कर लिया है जो उत्तरदाताओं को उसमें उल्लिखित आधारों पर उसी परिसर में एक आवेदक को नए कनेक्शन से इनकार करने की अनुमति देता है।

20. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मेसर्स साकेत इंडस्ट्रीज को वैध रूप से परिसर में शामिल किया गया था, जैसा कि पट्टा समझौते द्वारा अनुमति दी गई है। पट्टा समझौते से अधिवक्ता द्वारा बताए गए विशिष्ट शब्द के लिए पट्टेदार द्वारा अनुमोदित एक उप-पट्टा की आवश्यकता होती है; जो अनुमोदन, यह स्वीकार किया

जाता है, मौजूद नहीं है। यह बिजली शुल्क का भुगतान करने के दायित्व से बचने के लिए जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के निष्कर्ष को और मजबूत करता है।

21. हालाँकि यह न्यायालय इस बात पर आश्चर्यचकित है कि प्रत्यर्थियों ने 'साकेत इंडस्ट्रीज' को व्यवसाय चलाने की अनुमति दी और बिजली का बिल बिना काट दिए लगभग बीस लाख तक चला गया। इस तरह वे इस पहलू को देखने और खामियों को भरने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

22. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई इस टिप्पणी से पूरी तरह सहमत हैं कि सी. जी. आर. एफ. ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सही सराहना की और प्रत्यर्थी कंपनी के अपीलकर्ता-याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बिजली जारी नहीं करने के निर्णय की पुष्टि की।

23. एक ही पट्टे पर दिए गए परिसर में फर्म के नाम को बदलकर प्रतिवादियों को धोखा देने इस खेल में प्रतिवादियों के 20 लाख से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है जिसे न्यायालय की मुहर नहीं दी जा सकती|

24. हमें 2019 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 4141 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 16.08.2019 आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

25. 2019 का एल. पी. ए. सं. 1196 खारिज कर दिया गया है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रॉय, न्यायमूर्ति)

किरन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।